खनन क्षेत्रों के विकास को 15% बजट

देहरादून, मुख्य संवाददाता। 15 उत्तराखंड के खनन क्षेत्रों से लगे इलाकों में खनन से मिलने वाली रॉयल्टी का 15 प्रतिशत बजट खर्च किया जाएगा। बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।

प्रदेश और जिला स्तर पर बनेगी समिति

उत्तराखंड राज्य खनन न्यास नियमावली के तहत राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। जो खनन क्षेत्र के विकास के साथ ही रायल्टी से मिलने वाली धनराशि के खर्च को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देगी। राज्य स्तर पर गठित होने वाली समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। जबकि जिला स्तर पर गठित होने वाली समिति की जिम्मेदारी सचिव खनन के पास रहेगी।

खनन क्षेत्रों के विकास के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई। सूत्रों ने बताया कि इस नियमावली के तहत खनन क्षेत्रों के विकास के लिए कई नए मदों में भी बजट खर्च करने की व्यवस्था की गई है। सूत्रों के अनुसार फाउंडेशन अब गरीब कल्याण के साथ ही पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, हेल्थ केयर, शिक्षा सुधार महिला एवं बाल कल्याण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों के लिए भी बजट उपलब्ध कराएगा। कैबिनेट के इस फैसले से स्थानीय आबादी को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कार्य आसानी से हो सकेंगे।

नए खनिजों की खोज के लिए मिलेगा अनुदान : मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन को भी मंजूरी दी गई। यह न्यास राज्य में खनिजों की खोज का कार्य करेगा और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अनुदान भी मिलेगा। विदित है कि केंद्र सरकार ने पूर्व में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट गठित किया था। जिसका मकसद नए खनिज क्षेत्र विकसित करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसी की तर्ज पर अब राज्य में भी खनिज अन्वेषण न्यास के गठन को मंजूरी दी गई है। शासन के सूत्रों ने बताया कि यह न्यास राज्य में बहुमूल्य धातुओं के खनन को बढ़ावा देने में सहयोग देगी।